न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 105/2014

अनवान :

1. जगदीश पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी 20 एम.एस.आर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र केहर सिंह जाति निवासी चिडियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राज0 **(फौत)**
   1ए. मुन्नी पत्नी स्वर्गीय रामकुमार जाति जाट
   1बी. लिलूराम पुत्र रामकुमार जाति जाट
   1सी. राजेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट
   1डी. कालूराम पुत्र रामकुमार जाति जाट
   1ई सतवीर सिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट
   1एफ. विक्रम सिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट
   } निवासी चिडियांगाधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. संतरो पुत्री केहर सिंह पत्नि महावीर जाति जाट निवासी ताजिया तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरियाणा)
3. फूला पुत्री केहर सिंह पत्नि राममूर्ति जाति जाट निवासी दड़बा तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरियाणा)
4. औमपति पुत्री केहर सिंह पत्नि मनीराम जाति जाट निवासी दड़बा तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरियाणा)
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0अधि1955

उपस्थिति : वकील श्री बलवंत सिंह **: वादी**

निर्णय **दिनांक :** 31.05.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 बारानी के खाता सं0 20/23 के मु0नं0 78 के किला नं0 23 की 0.2530 है0 बारानी में वादी की 0.013 है0 कृषि भूमि स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के पिता केहर सिंह के नाम 0.240 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि केहरसिंह की मृत्यु होन चुकी है जिसके प्रतिवादी सं0 1 ता 4 विरासतन वारिस है।

वादी ने दिनांक 31.12.2003 को प्रतिवादीगण के दादा केहरसिंह से जरिऐ बैयनामा मु0नं0 78 के किला नं0 23 की दक्षिणी साईड की 0.013 है0 कृषि भूमि 5000 रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त कर अपने नाम नामान्तरण खुलवाने बाबत दस्तावेज राजस्व अधिकारियों को दे दिये थे। जिस पर नामांतरण संख्या 267 दर्ज कर दिया गया एवं केहरसिंह ने मौके पर वादी को किला नं0 23 दक्षिणी तरफ की 0.013 है0 भूमि का कब्जा सम्भला दिया जिस पर वादी ने अपना कुआ खोदकर ट्युबेल लगा लिया व एक कोठे का निर्माण कर लिया तभी से वादी उक्त भूमि को निर्बाध रूप से बिना किसी रोक टोक के उपभोग में लेता आ रहा है।

वादी ने दिनांक 31.12.2003 को प्रतिवादीगण के दादा केहर सिंह से जरिऐ बैयनामा मु0नं0 78 के किला नं0 23 की दक्षिणी साईड की 0.013 है0 कृषि भूमि 5000

रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त कर अपने नाम नामान्तरण खुलवाने बाबत दस्तावेजात राजस्व अधिकारियों को दे दिये थे। जिस पर नामान्तरण संख्या 267 दर्ज कर दिया गया परन्तु उक्त नामांतरण राजस्व अधिकारियों द्वारा ध्यानपूर्वक रजिस्ट्री को न पढकर जल्दबाजी में कर दिया गया जबकि प्रतिवादीगण के पिता वरवक्त बैयनामा उक्त भूमि का अकेला कुल स्वामी था एवं खाता भी एकल था और केहरसिंह ने अपनी स्वतंत्र ईच्छा से उक्त रजिस्ट्री करवाई थी ओर वादी ने उक्त किला की दक्षिणी साईड की कृषि भूमि की ही कीमत चुकाई थी। नामान्तरण में राजस्व अधिकारियों द्वारा किला नं0 23 के दक्षिणी तरफ की 0.013 है0 कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी जो राजस्व अधिकारियों की लिपिकीय भूलवंश नहीं हुई है। लिहाजा वादी मु0नं0 78 के किला नं0 23 की दक्षिणी साईड की 0.013 है0 कृषि भूमि का अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का मजाज कानूनी है।

प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पिता केहरसिंह की मृत्यु हो चुकी है, जिस कारण वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त खाता में विरासतन हिस्सेदार है जिनका आपस में सींव डोल को लेकर आऐ दिन झगड़ा होता रहता है, इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड अंकन कर उक्त भूमि का खाता विभाजन कर दिया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने का निवेदन करता है। ताकि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आए दिन झगड़ा फसाद न हो एवं उनकी अपने अपने हिस्सा अनुसार अलग से सींव डोल कायम कर दी जावे वादी ने तहसीलदार राजस्व को उक्त अंकन करने के लिऐ निवेदन किया तो तहसीलदार राजस्व ने इन्कार कर दिया।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिस पर तहसीलदार भादरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पक्षकारान को सूचित किया गया। वकील वादी हाजिर अदालत आये प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा व जमाबन्दीयात के अवलोकन से पाया गया कि वादी ने प्रतिवादी सं0 1 के पिता केहरसिंह से भूमि क्रय की थी केहरसिंह फौत हो चुका है। वादी ने केहरसिंह के पुत्र रामकुमार के विरूद्ध दावा पेश किया है दौराने दावा रामकुमार भी फौत हो चुका है व जमाबन्दीयात में अब भी प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के पिता का नाम दर्ज चला आ रहा है न तो विरासतन प्रतिवादीगण के नाम कृषि भूमि दर्ज है तथा न ही प्रतिवादीगण ने हाजिर अदालत आकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। वादी जगदीश केवल खाता विभाजन का दावा लेकर आया है, जमाबन्दीयात में कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है, इसलिए वादी जगदीश की हद तक वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है। वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा है।

अत : मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादी की हद तक वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादी के हिस्सा में वाद भूमि निम्नानुसार रहेगी :-

1. **जगदीश वल्द टीकूराम जाति जाट सा0 चिडियागांधी खातेदार के पास : चक 5 बारानी के** मु0नं0 78 के किला नं0 23/2 की 0.013 है0 बारानी कुल किता 1, रकबा 0.013 है0

शेष रकबा जमाबन्दी रिकार्ड में यथावत् रहेगा। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा (राज0)

31.5.19

(सुखाराम पिण्डेल)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी (हनुमानगढ़)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 105/2014

अनवान :

1. जगदीश पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी 20 एम.एस.आर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र केहर सिंह जाति निवासी चिडियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राज0 **(फौत)**
   1ए. मुन्नी पत्नी स्वर्गीय रामकुमार जाति जाट
   1बी. लिलूराम पुत्र रामकुमार जाति जाट
   1सी. राजेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट
   1डी. कालूराम पुत्र रामकुमार जाति जाट
   1ई सतवीर सिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट
   1एफ. विक्रम सिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट
   } निवासी चिडियांगाधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. संतरो पुत्री केहर सिंह पत्नि महावीर जाति जाट निवासी ताजिया तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरियाणा)
3. फूला पुत्री केहर सिंह पत्नि राममूर्ति जाति जाट निवासी दड़बा तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरियाणा)
4. औमपति पुत्री केहर सिंह पत्नि मनीराम जाति जाट निवासी दड़बा तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरियाणा)
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री बलवंत सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादी की हद तक वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादी के हिस्सा में वाद भूमि निम्नानुसार रहेगी :–

1. **जगदीश वल्द टीकूराम जाति जाट सा0 चिडियागांधी खातेदार के पास : चक 5 बारानी के** मु0नं0 78 के किला नं0 23/2 की 0.013 है0 बारानी कुल किता 1, रकबा 0.013 है0

शेष रकबा जमाबन्दी रिकार्ड में यथावत् रहेगा। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

31.5.19

(सुखराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़